न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 58 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. किशोर सिंह पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी चारणवास तुलीका तह0 दातारामगढ जिला सीकर।
2. गुलाबी देवी पत्नि बेगाराम जाति जाट निवासीनी चारणवास तुलीका तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. **श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील वादीया की ओर सें।**

नि र्ण य **दिनांक – 14.09.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1357, 1360, 1361, 1362, 1363 किता 5 कुल रकबा 3.82 है0, खसरा नम्बर 1078, 1081, 1082, 1099, 1100, 1101, 1398, 1399, 1435 / 2056, 1441, 1442 किता 11 कुल रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 1366 किता 1 कुल रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1365 किता 1 कुल रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम चारणवास तुलिका पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ एव भूमि खसरा नम्बर 499, 500 / 1484 किता 2 कुल रकबा 5.39 है0 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी संख्या एक का नाम सही व वास्तविक नाम किशोर सिंह पुत्र बेगाराम एवं प्रार्थीया संख्या 02 का सही व वास्तविक नाम गुलाबी देवी पत्नि बेगाराम है जो कि यही नाम अन्य समरत रिकार्ड यानि– परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, विघालय रिकार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड की कृषि भूमियों की खातेदारी में आवदेकगण का नाम गलत रूप से कमश पप्पुकुमार व मूली देवी दर्ज है जो संशोधित करते हुए पप्पूकुमार के स्थान पर किशोर सिंह व मुली देवी के स्थान पर गुलाबी देवी दुरूस्त कर संशोधित किये जाने योग्य है एवं इसी हेतु आवेदकगण को यह आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। आवेदकगण आपस में माता व पुत्र है एवं एक ही क्षेत्र की कृषि भूमियों में नाम की भिन्नता होने से प्रार्थीगण को किसान केडिट कार्ड बनवाने व अपनी खातेदारी की कृषि भूमियों के बतौर अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी परेशानी आ रही है। इस संबध में कई बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बधित अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रार्थीगण निवेदन कर चुके है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। वाद कारण अरसा करीब दस रोज पूर्व अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा आवेदकगण का नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर आवेदकगण को कृषि भूमि खसरा नम्बर 1357, 1360, 1361, 1362, 1363 किता 5 कुल रकबा 3.82 है0, खसरा नम्बर 1078, 1081, 1082, 1099, 1100, 1101, 1398, 1399, 1435 / 2056, 1441, 1442 किता 11 कुल रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 1366 किता 1 कुल रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1365 किता 1 कुल रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम चारणवास तुलिका पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ एवं भूमि खसरा नम्बर 499, 500 / 1484 किता 2 कुल रकबा 5.39 है0 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तहसील

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में आवेदकगण संख्या 01 का नाम पप्पुकुमार पुत्र बेगाराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर किशोर सिंह पुत्र बेगाराम व आवेदिका संख्या 02 का नाम मूली देवी को दुरूस्त कर उसके स्थान पर गुलाबी देवी पत्नि बेगाराम संशाधित कर दुरूस्ती की जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि आवेदकगण संख्या 01 का नाम पप्पुकुमार पुत्र बेगाराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर किशोर सिंह पुत्र बेगाराम व आवेदिका संख्या 02 का नाम मूली देवी को दुरूस्त कर उसके स्थान पर गुलाबी देवी पत्नि बेगाराम संशोधित कर दुरूस्ती की जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबंदी संख्या 2071–74 में खाता संख्या 19,21 में नामान्तकरण संख्या 62 निर्णय दिनांक 20.06.2007 ग्राम पंचायत रूपगढ द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें बेगाराम पिता रामूराम जाति जाट की विरासत से मूलीदेवी बेवा बेगाराम बजरंगलाल, महावीरप्रसाद, पप्पुकुमार, सुरेश कुमार पिता बेगाराम बिमलादेवी पुत्री बेगाराम के नाम खातेदारी आई है जो आदिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थी आवेदक द्वारा पेश आधार कार्ड राशन कार्ड वोटर आई डी में मूली का नाम गुलाबी देवी पत्नि बेगाराम व पप्पूकुमार का नाम किशोर सिह पुत्र बेगाराम अंकित है। आस पड़ोस में पुछताछ में बताया की पप्पुकुमार व किशोर सिंह एक ही व्यक्ति है। परीवार में छोटा होने से पप्पु के नाम भी पहचान जाता है तथा मुलीदेवी व गुलाबी देवी दोनों एक ही महिला है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 1357, 1360, 1361, 1362, 1363 किता 5 कुल रकबा 3.82 है0, खसरा नम्बर 1078, 1081, 1082, 1099, 1100, 1101, 1398, 1399, 1435/2056, 1441, 1442 किता 11 कुल रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 1366 किता 1 कुल रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1365 किता 1 कुल रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम चारणवास तुलिका पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ एवं भूमि खसरा नम्बर 499, 500/1484 किता 2 कुल रकबा 5.39 है0 वाके ग्राम ठेहट पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार आवेदकगण संख्या 01 का नाम पप्पुकुमार पुत्र बेगाराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर पप्पुकुमार उर्फ किशोर सिंह पुत्र बेगाराम व आवेदिका संख्या 02 का नाम मूली देवी को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मुलीदेवी उर्फ गुलाबी देवी पत्नि बेगाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ